न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (एक्सक्लूसिव कोर्ट) बागपत।
उपस्थित श्रीमती शैलजा राठी एच.जे.एस.।
J.O. Code– UP2643

UPBG010044462020

Sessions Case/994/2020 (कम्प्यूटर नं०)
Sessions Case 418/2020 (पत्रावली नं०)

1– उ0 प्र0 राज्य अभियोजक।

बनाम

1– मोनू पुत्र सत्ते उर्फ सत्यनारायण, निवासी ग्राम कण्डेरा, थाना रमाला, जिला बागपत।

अभियुक्त।

मु०अ०सं०–83/2020
धारा–376 भा०दं०सं०
धारा–3/4 पोक्सो एक्ट
थाना–दोघट, जिला बागपत।

निर्णय

1- अभियुक्त **मोनू** के विरूद्ध थाना दोघट, जिला बागपत की पुलिस द्वारा विचारण हेतु आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–376 व धारा–3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2- धारा **228–ए** भारतीय दण्ड संहिता व ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए०आई०आर० 2006 उच्चतम न्यायालय 2214 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में इस निर्णय में मामले की पीड़िता का नाम वर्णित नहीं किया जा रहा है। इस निर्णय में उसे **"पीड़िता"** के नाम से सम्बोधित किया गया है।

3- **संक्षेप** में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा रेखा पत्नी रामपाल, निवासी ग्राम कण्डेरा, थाना रमाला, जिला बागपत ने पीड़िता पुत्री रामपाल, निवासी ग्राम कण्डेरा, थाना रमाला, जिला बागपत से एक तहरीर लिखवाकर थाना प्रभारी थाना–दोघट, जिला बागपत पर इस आशय का प्रस्तुत किया कि '' आज दिनांक 07–04–2020 को मैं व मेरी लड़की पीडिता उम्र करीब 18 वर्ष अपने गॉव कण्डेरा से नदी पार घास काटने के लिये खेतों में आये

Digitally signed by Shailja Rathi
Date: 2023.01.28 13:27:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

थे। समय करीब चार बजे शाम हम दोनों गॉव नांगल के दुर्गेश शर्मा के गन्ने के खेत में घास काट रहे थे। मैं घाट के किनारे पर घास काट रही थी तथा मेरी लड़की पीडिता घास काटते गन्ने के खेत में अन्दर चली गयी तो मेरे गॉव के मोनू पुत्र सत्ते धीमर ने मेरी लड़की को अन्दर खीचकर उसके साथ गलत किया तथा उसका मुॅह भीच लिया जिससे वह शोर नहीं मचा पायी। मोनू गलत कार्य करके चला गया तो मेरी लडकी खेत के बाहर आकर यह बात मुझे बतायी। '' निवेदन किया कि रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जाये।

4– वादिनी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त मोनू के विरूद्ध धारा–376 भा0 दं0 सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मामले की विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचना के दौरान विवेचक ने आवश्यक साक्ष्य संकलित किये तथा बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु आरोपपत्र अन्तर्गत धारा–376 व धारा–3/4 पोक्सो एक्ट में प्रेषित किया गया।

5– आरोपपत्र आने पर उस पर संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त की उपस्थिति हेतु प्रोसेस जारी किये गये। अभियुक्त के उपस्थित आने पर अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–376 व धारा–3/4 पोक्सो एक्ट में आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया जिससे इन्कार करते हुये अभियुक्त ने विचारण की याचना की। तदोपरान्त अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।

6– अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिये कुल 07 गवाह क्रमश पी0 डब्लू01 वादिनी मुकदमा रेखा, पी0 डब्लू02 पीड़िता, पी0 डब्लू03 रामपाल, पी०डब्लू० 4 डॉ० आर.के. टण्डन, पी०डब्लू० 5 कू० रानी, पी०डब्लू० 6 डॉ० मेहनाज सिददिकी व पी०डब्लू० 7 रिटायर्ड एस.आई. गुलाब सिंह को परीक्षित कराया गया है।

7– अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीर प्रदर्श क 1, बयान पीडिता धारा 164 प्रदर्श क 2, आयु प्रमाणपत्र पीडिता प्रदर्श क 3, चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क 4, जी०डी० प्रदर्श क 5, चिकित्सीय प्रपत्र पीडिता प्रदर्श क 6 व 7, नक्शा नजरी प्रदर्श क 8, परीक्षण हेतु जैविक नमूनों का प्रमाणीकरण पत्र प्रदर्श क 9 व आरोपपत्र प्रदर्श क 10 प्रस्तुत किये गये हैं।

8– साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्त का बयान धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 में अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानकको गलत बताया तथा कहा कि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। पी.डब्लू.1 के बयान को गलत देना कहा, पी.डब्लू.2 लगायत पी.डब्लू.5 के बयानों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। पी.डब्लू.6 के बयान के सम्बन्ध में कहा कि गलत डाक्टरी रिपोर्ट तैयार कर साबित किया है। पी.डब्लू.7 के बयान के सम्बन्ध में कहा कि गलत आरोपपत्र प्रेषित किया है। मुकदमा गॉव की रंजिश के कारण चलना बताया व यह भी कहा कि गॉव की रंजिश के कारण उसके विरूद्ध गलत मुकदमा लिखवाया गया है। सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से अभियुक्त ने इन्कार किया है।

9– गवाह **पी0 डब्लू01 रेखा**/ वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि मेरी लडकी का नाम पीडिता है जिसकी उम्र अब करीब 19 वर्ष है। हम कण्डेरा से नदी पार कर के घास काटने नदी पार गये थे। मेरी बेटी व मैं हम दोनों एक साथ ही घास काट रहे थे। दिनांक 07–04–2020 को मोनू ने मेरी लड़की के साथ खेत में खीचकर उसका मुॅह दबाकर गलत काम नहीं किया था। और ना ही गलत काम करने वाली बात मेरी लड़की ने मुझे बतायी थी। मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती। तहरीर पीड़िता पुत्री रामपाल ग्राम कण्डेरा ने लिखी थी। तहरीर किसके कहने पर लिखी थी मुझे नहीं पता। गवाह ने तहरीर पर अपना निशानी अंगूॅठा की पहचान की जिस पर प्रदर्श क 01 डाला गया। इस गवाह को अभियोजन की ओर से **पक्षद्रोही** घोषित कराकर अभियोजन की ओर से जिरह की गयी है। जिरह में गवाह ने बयान दिये हैं कि धारा 161 द०प्र०सं० का बयान उसने दरोगा को नहीं दिया थाा, पता नहीं कैसे लिख लिया। इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। अभियोजन के सुझावों से गवाह ने इन्कार किया तथा अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में बयान दिये हैं कि रिपोर्ट मैनें बोलकर नहीं लिखवायी थी और न ही रिपोर्ट मुझे सुनायी थी। रिपोर्ट में मैनें मोनू द्वारा गलत काम करने वाली बात नहीं लिखवायी थी।

10– गवाह **पी0 डब्लू02 पीड़िता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि मेरा नाम पीडिता है। मेरे पापा का नाम रामपाल है। मेरी उम्र अब 18 वर्ष है। मैं कक्षा छः तक पढ़ी हूॅ। दिनांक 07–04–2020 को मोनू पुत्र सत्ते से हमारी लड़ाई हुयी थी। मोनू ने खेत में खड़ा होकर मेरी मम्मी को गाली दी थी। मैं व मेरी मम्मी खेत में घास काट रही थी। इसी बात पर मेरी मम्मी ने मोनू के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था। मोनू ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया था। आज से पूर्व भी न्यायालय में मेरा बयान हुआ था। न्यायालय की अनुमति से पीडिता का बयान धारा 164 दं०प्र०सं० खोला गया व दिखाया गया तथा पढकर सुनाया गया तो गवाह ने इस पर लगे अपने फोटो को पहचाना व हस्ताक्षर की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क 02 डाला गया। गवाह को अभियोजन की ओर से **पक्षद्रोही** घोषित किया गया। जिरह में गवाह ने पुनः धारा 161 दं०प्र०सं० में लिखे कथनों से इन्कार किया है और आगे बयान दिया कि पूर्व में न्यायालय में भी मैनें गलत काम करने वाली बात नहीं बतायी थी। पुलिस वालों द्वारा मेरी डाक्टरी करायी थी। डाक्टर को भी गलत काम करने वाली बात नहीं बतायी थी। यह कहना सही है कि मेरी उम्र अब करीब 18 वर्ष है। यह कहना गलत है कि मुल्जिम से मेरे माता पिता द्वारा समझौता कर लिया हो तथा माता पिता के कहे अनुसार ही आज सही बात न बताकर झूॅठी गवाही दे रही हो।

11– गवाह **पी0 डब्लू03 रामपाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिये हैं कि मेरी लड़की का नाम पीडिता है। उसकी उम्र करीब 19 वर्ष है। मेरी लडकी व पत्नी खेतों में घास काटने जाती हैं। दिनांक 07–04–2020 को मैं मजदूरी के लिये बाहर गया हुआ था। मेरे सामने मोनू पुत्र सत्ते ने मेरी बेटी पीडिता के साथ

उसका मुॅह दबाकर गलत काम नहीं किया था। मेरी बेटी पीड़िता व मेरी पत्नी रेखा ने बलात्कार की बात मुझे नहीं बतायी थी। मेरी बेटी के साथ मोनू ने बलात्कार नहीं किया था। इस गवाह को अभियोजन की ओर से **पक्षद्रोही घोषित** कराकर जिरह की गयी है। **जिरह में** गवाह ने बयान दिये हैं कि यह कहना सही है कि मेरी बेटी का नाम पीडिता है। मेरी पत्नी का नाम रेखा है। यह कहना भी सही है कि मेरी बेटी व पत्नी घास काटने जाती हैं। मैं उनके साथ घास काटने नहीं जाता बल्कि अलग स्थान पर मजदूरी करता हूॅ दरोगा जी ने मेरा कोई बयान धारा 161 दं०प्र०सं० नहीं लिया था। बयान से अनभिज्ञता प्रकट कर अभियोजन के सुझाव से गवाह ने इन्कार किया है।

12– गवाह **पी०डब्लू० 4 डॉ० आर०के टण्डन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि दिनांक 03–06–2020 को वह सी०एम०ओ० के पद पर नियुक्त थे। उस दिन उन्होनें पीडिता पुत्री रामपाल निवासी गॉव कण्डेरा जिला बागपत जिसको लेडीज कॉ० हेमलता लेकर आयी थी जिसको श्रीमती ब्रजेश शर्मा स्टाफ नर्स सी०एच०सी० बागपत के सम्मुख एक्जामिन किया गया था, कॉ० मेरे पास एक्सरे रिपोर्ट जिसे डा० हरीश कुमार, रेडियोलाजिस्ट कम्बाइन्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के द्वारा जॉच की गयी। मैनें उसके एम०आई० का मिलान किया। एक्सरे रिपोर्ट का नम्बर 2823/24/25/26 दिनांक 29–05–2020 के द्वारा की गयी परीक्षण कर पीडिता की उम्र 18 वर्ष तस्दीक की गयी थी। इसके एक्सरे **1**– राइट रिस्ट AP (R) 2A 2 3 **2**–एक्सरे राइट एलबो AP (R) 28 29 **3**– एक्सरे राईट नी AP (R) 28 25 **4**– एक्सरे राइट शोल्डर AP (28 26) यह सभी एक्सरे फयूज्ड थे। उक्त जॉच के आधार पर उम्र का निर्धारण किया। पत्रावली पर उपलब्ध आयु सम्बन्धित प्रमाणपत्र को गवाह ने प्रदर्श क 03 के रूप में साबित किया है। गवाह ने जिरह में बयान दिये हैं कि जिस एक्सरे प्लेट के आधार पर मैनें यह रिपोर्ट बनायी थी , वह एक्सरे रिपोर्ट आज पत्रावली पर नहीं है। मेरी रिपोर्ट के अनुसार पीडिता 18 वर्ष उम्र की थी तथा बालिग थी। मेरे द्वारा पीडिता का कोई चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया था। सुझाव से गवाह ने इन्कार किया है।

13– गवाह **पी०डब्लू० 5 महिला कॉ० रानी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिये हैं कि दिनांक 07–04–2020 को मैं थाना दोघट पर कॉ० के पद पर तैनात थी। उस दिन मेरे द्वारा वादिनी रेखा की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मु०अ०सं० 83/20 कम्प्यूटर पर टाईप करके पंजीकृत किया था। मुकदमे का खुलासा जी०डी० नम्बर 68 समय 23"15 बजे किया था। इसकी चिक तैयार की थी जिस पर प्रदर्श क 4 डाला गया व जी०डी० पर प्रदर्श क 5 डाला गया। इस गवाह से अभियुक्त की ओर से जिरह की गयी है। जिरह मे गवाह ने बयान दिये हैं कि चिक पर मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। जी०डी० पर भी मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं है। जो तहरीर मुझे प्राप्त हुयी थी, उस पर मुकदमा पंजीकृत करने का किसी भी अधिकारी का कोई आदेश नहीं।

किसके कहने से मुकदमा मैनें मौखिक एस०ओ० के कहने से दर्ज किया था। पहले मैनें जी०डी० लिखी थी। उसके बाद चिक लिखी थी। जी०डी० तैयार करने में मुझे दस मिनट का समय लगा था। जी०डी० मैनें 23:15 पर लिखी थी। मैनें चिक में भी 23:15 कास मय डाला है। सुझाव से गवाह ने इन्कार किया और आगे बयान दिया कि असल जी०डी० मैं आज लेकर नहीं आयी हूँ। पीड़िता को डाक्टरी परीक्षण हेतु मैनें महिला कॉ० योगेश को साथ भेजा था। यह कहना सही है कि मेडिकल रिपोर्ट पर महिला कॉ० कु० योगेश का नाम न होकर महिला कॉ० हेमलता का नाम अंकित है। मुझे नहीं पता कि हेमलता का नाम डा० रिपोर्ट में कैसे लिखा गया।

14– गवाह **पी०डब्लू० 6 डॉ० मेहनाज सिददिकी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि दिनांक 08–04–2020 को सुबह 11:25 ए०एम० पर कॉ० हेमलता व अपनी मॉ के साथ डाकटरी परीक्षण हेतु मेरे पास जब मेरी डयूटी एम०एल०सी० जिला चिकित्सालय पर तैनात थी, मेरे द्वारा पीडिता का मेडिकल परीक्षण वहॉ पर किया गया था। सी०एच०सी० बागपत पर किया गया था। पीडिता का पहचान चिन्ह काला तिल बाये गाल पर मौजूद था। पीडिता का वजन 45 किलो था। हाईट 141 से०मी० था। चिकित्सीय परीक्षण के समय पीडिता के द्वारा मुझे बताया गया कि '' मैं अपनी मॉ के साथ कल दिनांक 07–04–2020 सायं 3:30 पी०एम० पर जंगल नांगल के दुर्गेश शर्मा के गन्ने के खेत में घास काट रहे थे तब 4:00 पी०एम० पर मोनू नाम का व्यक्ति मेरा मुँह दबाकर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद वहॉ से भाग गया जिसकी 11:20 पी०एम० पर मैनें एफ०आई०आर० दर्ज करायी। '' पीड़िता की मानसिक स्थिति सामान्य थी और बुखार भी नहीं था। पीड़िता को कोई हृदय सम्बन्धित परेशानी नहीं थी। फेफडे सही काम कर रहे थे। पेट मुलायम था। सामान्य था तथा दर्द नहीं था। कोई गैस या दर्द की स्थिति नहीं थी। बाहरी परीक्षण में पीडिता के शरीर का किया गया जिसमें कोई किसी प्रकार की चोट का निशान नहीं पाया गया। घटना करीब 20 घन्टा पहले की बतायी गयी। पीडिता द्वारा बताया गया कि मुझे प्रथम बार पेशाब करते वक्त घटना के बाद दर्द हुआ था। पेशाब करते वक्त दर्द हुआ। उसके बाद दर्द नहीं हुआ। वाहय परीक्षण में कोई चोट / खरोंच का निशान नहीं पाया गया व प्राईवेट पार्ट के आसपास कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। फिर मेरे द्वारा उसका आन्तरिक परीक्षण पीडिता का किया गया। आन्तरिक परीक्षण में उसकी झिल्ली पुरानी फॅटी और भरी हुयी पायी गयी। मेरे द्वारा पीडिता के कपडे जिनमें कुर्ता, सलवार, अण्डर गारमेंट, ब्रा और दुपटटा मेरे द्वारा परीक्षण कर अपनी मेडिकल रिपोर्ट में अंकित किया गया था। मेरे द्वारा रक्त का नमूना डी०एन०ए० परीक्षण हेतु लिया गया था। यूरिन टेस्ट कराया था जिसमें पीड़िता गर्भवती नहीं पायी गयी। उसके बाद मेरे द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु पीडिता के प्राईवेट पार्ट से बाल कटे हुये बाल, दो सरवाइकिल स्वेब, स्लाइड व दो स्वेब वेजाइनल दोनों

से दो–दो सरवाइकल स्वेब व दो सरवाइकल स्लाइड विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजी गयी थी। मेरे द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार पीडिता के साथ बलप्रयोग नहीं किया गया। बलप्रयोग का कोई चिन्ह या निशान नहीं पाया परन्तु अन्तिम परिणाम के लिये एफ०एस०एल० का परीक्षण देखकर ही घटना के विषय में बताया जा सकता है। बलात्कार होने की कोई भी राय मेरे द्वारा निश्चित नहीं की गयी, बलात्कार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। गवाह ने स्वयं द्वारा किये गये चिकित्सीय परीक्षण सम्बन्धित रिपोर्ट को प्रदर्श क 6 व प्रदर्श क 7 के रूप में साबित किया है। इस गवाह से अभियुक्त की ओर से जिरह की गयी है। जिरह में गवाह ने बयान दिये हैं कि थाने से पीडिता के परीक्षण हेतु जो लेटर आया था, वह आज पत्रावली पर नहीं है। एफ०एस०एल० में खून स्लाइड आदि भेजने का कोई पत्र पत्रावली पर नही है। कागज संख्या 10 अ/ 3 पर पीडिता का जो बयान लिखा गया है, उस पर पीडिता का कोई निशानी अंगूॅठा या/ हस्ताक्षर नहीं है। पीडिता के शरीर के आन्तरिक या वाहय भाग में कोई चोट नहीं थी। मेरे द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी गयी। मेरे सामने पत्रावली पर कोई एफ०एस०एल० रिपोर्ट नहीं लगी है, ना ही कभी मेरे सामने आयी है। यह कहना सही है कि पीडिता की उम्र 18 वर्ष थी। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में गलत बयानी कर रही हूॅ।

15– गवाह **पी०डब्लू० 7 रिटायर्ड एस.आई. गुलाब सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में इस मामले की विवेचना करने का कथन किया तथा यह बयान दिया है कि दिनांक 07–04–2020 को एफ०आई०आर० दर्ज हुयी। उसी दिन विवेचना थाने से मुझे प्राप्त हुयी थी। उसके बाद मैं घटना स्थल गया तथा पीड़िता के पिता रामपाल की निशानदेही पर मैनें घटना स्थल का मुआयना किया था फिर मैनें नक्शा नजरी बनाया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है, मेरे हस्तलेख में है जिस पर प्रदर्श क 8 डाला गया। मेरे द्वारा पीडिता का बयान दिनांक 07–04–20 को धारा 161 दं०प्र०सं० महिला कॉ० रानी से लिखवाकर केस डायरी में शामिल किया गया था जो पत्रावली पर है। मेरे द्वारा पीडिता का बयान धारा 164 दं०प्र०सं० दिनांक 04–06–2020 को न्यायालय में अंकित कराया गया। पीडिता का डा०मु० दिनांक 08–04–2020 को कराया गया था। मेरे द्वारा पीडिता, उसकी माता रेखा, पिता रामपाल का बयान अंकित कर केस डायरी में अंकित किया गया था। डा० आर०केटण्डन, डा० मैनाज सिददिकी, महिला कॉ० रानी का बयान केस डायरी में किता किया गया। अभियुक्त मोनू को गिरफतार करने के पश्चात उसकाडी०एन०ए० टेस्ट हेतु नमूना प्रेषित किया गया था। डी०एन०ए० प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर प्रदर्श क 9 डाला गया। दिनाक 28–08–2020 को केस डायरी 21 द्वारा पीडिता का सैम्पल जो डाक्टर द्वारा तैयार किया गया था, महिला कॉ० दीप्ति शर्मा द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ प्रेषित रिसीव कराने की केस डायरी में अंकित किया गया था। विवेचना में अभियुक्त मोनू के खिलाफ साक्ष्य होने के कारण दिनांक 23–

08–2020 को आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गवाह ने पीडिता के आयु सम्बन्धित मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क 3 के रूप में पुष्टि की है। इस गवाह से भी अभियुक्त की ओर से जिरह की गयी है जिसमें गवाह ने बयान दिये हैं कि यह कहना सही है कि डाक्टरी में पीडिता की उम्र 18 वर्ष आयी थी। मेरे द्वारा पीडिता की निशानदेही पर घटना स्थल का मुआयना नहीं किया गया था, ना ही उसकी मॉ की निशानदेही पर। मेरे द्वारा जिस व्यक्ति के खेत में घटना होना बताया गया, उस व्यक्ति का कोई बयान अंकित नहीं किया गया। पीडिता ने अपना धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान पर अपनी उम्र 18 वर्ष होना बताया था। स्कूल का प्रमाणपत्र किस व्यक्ति ने लाकर दिया था, मैनें ध्यान नहीं दिया था। सुझाव से गवाह ने इन्कार किया है।

16- मैनें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजन एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया।

17– **पत्रावली** के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि दिनांक 07–04–2020 को समय 16:00 बजे जंगल गॉव नांगल, थाना दोघट जिला बागपत में उसने वादिनी मुकदमा रेखा की नाबालिग पुत्री पीड़िता की इच्छा के विरूद्ध उसके साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

18– अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को साबित करने के लिये तथ्य के कुल 03 गवाह परीक्षित कराये गये हैं जिसमें पी०डब्लू० 1 श्रीमती रेखा जो कि वादिनी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा पीड़िता से लिखवाकर दी गयी तहरीर प्रदर्श क 1 पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है परन्तु वादिनी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में यह बयान भी दिये हैं कि दिनांक 07–04–2020 को **मोनू ने मेरी लड़की के साथ खेत में खीचकर उसका मुॅह दबाकर गलत काम नहीं किया था।** और ना ही गलत काम करने वाली बात मेरी लड़की ने मुझे बतायी थी। मैं लिखना पढ़ना नहीं जानती। तहरीर पीड़िता पुत्री रामपाल ग्राम कण्डेरा ने लिखी थी। तहरीर किसके कहने पर लिखी थी मुझे नहीं पता।

19– प्रकरण की महत्वपूर्ण गवाह पी०डब्लू० 2 पीड़िता ने अपने बयान मुख्य परीक्षा में अभियेाजन कथानक का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही घोषित की गयी है। गवाह ने अपने बयान में कथन किये हैं कि दिनांक 07–04–2020 को मोनू पुत्र सत्ते से हमारी लड़ाई हुयी थी। मोनू ने खेत में खड़ा होकर मेरी मम्मी को गाली दी थी। मैं व मेरी मम्मी खेत में घास काट रही थी। इसी बात पर मेरी मम्मी ने मोनू के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था। **मोनू ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया था।** गवाह ने अपने बयान धारा 161 दं०प्र०सं० से अनभिज्ञता प्रकट की और बयान दिया कि उसने ऐसा कोई बयान पुलिस को नहीं दिया था। पीडिता ने अपने बयान धारा 164 दं०प्र०सं० को न्यायालय में देना बताया जिस पर अपने फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त की है।

20– गवाह पी०डब्लू० 3 रामपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं के सामने कोई भी घटना होने से इन्कार किया है तथा यह भी कथन किया है कि उसकी बेटी व पत्नी ने मोनू द्वारा घटना कारित करने वाली बात नहीं बतायी थी। गवाह ने अपने बयान में यह स्पष्ट कथन किया है कि मेरे सामने मोनू पुत्र सत्ते ने मेरी बेटी पीडिता के साथ उसका मुँह दबाकर गलत काम नहीं किया था। मेरी बेटी पीड़िता व मेरी पत्नी रेखा ने बलात्कार की बात मुझे नहीं बतायी थी। **मेरी बेटी के साथ मोनू ने बलात्कार नहीं किया था।**

21– गवाह पी०डब्लू० 4 डॉक्टर आर.के.टण्डन औपचारिक गवाह हैं जिन्होनें पीड़िता की आयु सम्बन्धित चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र को प्रदर्श क 3 के रूप में साबित किया है।

22– गवाह पी०डब्लू० 5 लेडीज कॉ० रानी भी औपचारिक गवाह हैं जिन्होनें अपने बयान में वादिनी मुकदमा की तहरीर के आधार पर इस मामले की चिक एफ०आई०आर० किता करने व उसका खुलासा जी०डी० में करने का कथन किया तथा उक्त प्रपत्रों को प्रदर्श क 4 व प्रदर्श क 5 के रूप में साबित किया है।

23– गवाह पी०डब्लू० 6 डॉक्टर मेहनाज सिददिकी, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाली साक्षी हैं, जिन्होनें अपने बयान मुख्य परीक्षा में दिनांक 08–04–2020 को पीड़िता का वाहय व अन्दरूनी परीक्षण करने का कथन किया तथा स्वयं द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय रिपोर्ट को प्रदर्श क 6 व प्रदर्श क 7 के रूप में साबित किया है। गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि पीड़िता के शरीर के आन्तरिक या वाहय भाग में कोई चोट नहीं थी। मेरे द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी गयी।

24– गवाह पी०डब्लू० 7 रिटायर्ड एस०आई० गुलाब सिंह, इस मामले की विवेचना करने व बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित करने वाले साक्षी हैं जिन्होनें अपने बयान में इस मामले की विवेचना करने, नक्शा नजरी बनाने, पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कराने, पीडिता का बयान धारा 161 व धारा 164 दं०प्र०सं० दर्ज कराने व बाद विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित करने का कथन किया है। गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि डाक्टरी में पीडिता की उम्र 18 वर्ष आयी थी। मेरे द्वारा पीडिता की निशानदेही पर घटना स्थल का मुआयना नहीं किया गया था, ना ही उसकी मॉ की निशानदेही पर। मेरे द्वारा जिस व्यक्ति के खेत में घटना होना बताया गया, उस व्यक्ति का कोई बयान अंकित नहीं किया गया। पीडिता ने अपना धारा 164 दं०प्र०सं० के बयान पर अपनी उम्र 18 वर्ष होना बताया था।

25– अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत केस में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोपों को साबित करने हेतु जितने भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं उनमें से किसी भी साक्षी (स्वयं पीड़िता द्वारा भी) न तो अभियुक्त की संलिप्तता प्रस्तुत केस में दर्शायी गयी है व न ही अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

26– इस प्रकार अभियोजन के सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा–376 व धारा–3/4 पोक्सो एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका है। तदानुसार अभियुक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

27– वादिनी मुकदमा श्रीमती रेखा के विरुद्ध उसके द्वारा घटना की झूठी रिपोर्ट करने हेतु धारा 344 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रकीर्ण कार्यवाही प्रारम्भ करने का आधार बनता है।

आदेश

1– अभियुक्त **मोनू** को आरोपित आरोप धारा–376 व धारा–3/4 पोक्सो एक्ट के दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

2– अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके द्वारा पूर्व में दाखिल किये गये निजी मुचलका व जमानत बंधपत्र निरस्त करते हुये प्रतिभूगण को उनकें दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

3– अभियुक्त ने धारा 437 ए दं०प्र०सं० में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में नवीन जमानतनामें व बंधपत्र दाखिल कर दिये हैं जो निर्णय तिथि से 06 माह तक प्रभावी रहेगें।

4– इस निर्णय की प्रति के साथ वादिनी मुकदमा श्रीमती रेखा के विरुद्ध धारा 344 दं०प्रं०सं० के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर उसे नोटिस जारी किया जाये।

दिनांक 23–01–2023

(श्रीमती शैलजा राठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट
(एक्सक्लूसिव कोर्ट) बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 23–01–2023

(श्रीमती शैलजा राठी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट
(एक्सक्लूसिव कोर्ट) बागपत।